

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15(25)2000 / गोप्र / प्रमुवस /

दिनांक

सितम्बर, 2012

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या सम 2667/सी दिनांक 8.9.2010 द्वारा दिनांक 1.4.2010 को कार्यरत क्षेत्रीय द्वितीय की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था। इस सूची के प्रकाशन के बाद रिज्यू डीपीसी के माध्यम से क्षेत्रीय द्वितीय के पद पर पदोन्नत किये जाने के कारण निम्नांकित क्षेत्रीय द्वितीय के नाम उनके समक्ष अंकित विवरणानुसार यथोचित वरिष्ठता क्रमांक पर उक्त सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :-  
क्षेत्रीय द्वितीय जिनका नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है :-

| प्रस्तावित वरि. सं. | नाम क्षेत्रीय-द्वितीय सर्व श्री | एससी / एसटी | जन्म तिथि   | चयनित वर्ष | सेवानिवृत्ति तिथि   |
|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 157 A               | किशोरी लाल मीणा पुत्र बजरंग लाल | एस.टी.      | 1-Aug-1957  | 2008-09    | आदेश सं. 2484/सी दि. 3.11. 2011 द्वारा रिज्यू डीपीसी से वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से इनका नाम श्री नारायण मीणा व खेता राम के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।  |
| 162 A               | प्रमोद कुमार पुत्र डोरो सिंह    |             | 5-Sep-1956  | 2009-10    | आदेश सं. 2484/सी दि. 3.11. 2011 द्वारा रिज्यू डीपीसी से वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से इनका नाम श्री कान सिंह व आनन्द प्रकाश के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 172 A               | दलीप कुमार पुत्र रामेश्वर लाल   |             | 6-May-1955  | 2009-10    | आदेश सं. 2484/सी दि. 3.11. 2011 द्वारा रिज्यू डीपीसी से वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से इनका नाम श्री रजी राम एवं सरदार सिंह के मध्य सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।  |
| 177 A               | काना राम पुत्र शेरा राम         |             | 5-May-1951  | 2009-10    | आदेश सं. 1635/सी दि. 24.6. 2010 द्वारा वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।  |
| 177 B               | बाबू लाल पुत्र शम्भू लाल शर्मा  |             | 28-Jun-1959 | 2009-10    | आदेश सं. 1635/सी दि. 24.6. 2010 द्वारा वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।  |



|       |   |        |                 |         |  |
|-------|---|--------|-----------------|---------|--|
| 177 C | कमल कान्त<br>साकशैना पुत्र<br>सुरेश चंद्र |        | 17-May-<br>1953 | 2009-10 | आदेश सं. 1635/सी दि. 24.6.2010 द्वारा वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।                  |
| 177 D | सन्त लाल<br>पुत्र मकखन<br>लाल.            | एस.सी. | 1-Aug-<br>1956  | 2009-10 | आदेश सं. 2484/सी दि. 3.11.2011 द्वारा रिब्यू डीपीसी से वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 177 E | गिरधारी लाल<br>गीणा पुत्र<br>गणपत राम     | एस.टी. | 13-Feb-<br>1957 | 2009-10 | आदेश सं. 2484/सी दि. 3.11.2011 द्वारा रिब्यू डीपीसी से वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किये जाने से नाम सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। |

इसी प्रकार कार्यालय के आदेश संख्या सम 2667/सी दिनांक 8.9.2010 द्वारा जारी दिनांक 1.4.2010 को कार्यरत क्षेत्रीय द्वितीय की अन्तिम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित श्री राम लाल व श्री घनश्याम सिंह का नाम उनके नाम के समक्ष अंकित कारणों से विलोपित किया जाना भी प्रस्तावित है।

जिनका नाम विलोपित किया जाना प्रस्तावित है :-

| वर्तमान<br>वरि.<br>सं. | नाम<br>क्षेत्रीय-द्वितीय<br>सर्व श्री  | एससी/एसटी | जन्म<br>तिथि   | चयनित<br>वर्ष | सेवानिवृत्ति तिथि   |
|------------------------|--|-----------|----------------|---------------|---|
| 1                      | 2                                      | 3         | 4              | 5             | 6   |
| 9                      | राम लाल पुत्र<br>गणपत लाल              | एस.सी.    | 5-Feb-<br>1951 | 1993-94       | आदेश सं. 2885/सी दि. 8.9.2010 द्वारा इन्हें वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध क्षेत्रीय प्रथम के पद पर पदोन्नति दिये जाने के कारण नाम विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। |
| 69                     | घनश्याम सिंह<br>पुत्र श्री मोहन<br>लाल |           | 9-Apr-1954     | 2003-04       | श्री घनश्याम सिंह नाम का कर्मचारी वास्तव में विद्यमान में कार्यरत नहीं होने से नाम विलोपित किया जाना प्रस्तावित है।   |

उक्तानुसार नवीन नाम सम्मिलित किये जाने/नाम विलोपित किये जाने के कारण समस्त कर्मचारियों की वर्तमान वरिष्ठता क्रमांक को तदनुरूप संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है। यदि इस सम्बन्ध में किसी क्षेत्रीय द्वितीय को कोई आपत्ति हो तो 1-10-2012 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाकर प्रस्तावानुसार नवीन नाम सम्मिलित करते हुये वरिष्ठता सूची का अन्तिम रूप से प्रकाशन कर दिया जावेगा।


६

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
राजरथान जयपुर



क्रमांक एफ 15(25)2000/गोप्र/प्रमुवस/ 2404-2500/C दिनांक 21 सितम्बर, 2012

- 1 प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को दी जाकर लेख हैं कि उनके अधीन कार्यरत क्षेत्रीय द्वितीय को प्रचलित की जा रही इस आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें तथा इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें।
- 2 मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर को वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 3 जांच अनुभाग कार्यालय हाजा
- 4 अध्यक्ष, विभागीय कर्मचारी समन्वय समिति, वन विभाग, जयपुर
- 5 रक्षी पत्रावली

  
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रशासन, जयपुर